

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली जिला पाली राज.

प्रार्थी:-

बनाम

अप्रार्थीगण :-

- | | |
|--|---|
| 1. सुरेश कुमार पुत्र मोहनलाल नाहर जाति जैन निवासी नाडोल तह.देसूरी नाडियावाला धर्मशाला के पास नाडोल हाल मुम्बई | 1. ग्राम पंचायत नाडोल जरिये सरपंच नाडोल 2. ललित कुमार पुत्र फतेहचंद नाहर हाल न्यू राजरतन कॉ ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी मुम्बई |
|--|---|

किस्म मुकदमा : पंचायत विविध संख्या : 159/2024

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024/159)

प्रार्थना पत्र निगरानी अन्तर्गत धारा 97(2) राज.पंचायती राज. अधिनियम, 1994

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये |
|-------------|---|--|
| 11.03.2024 | <p>पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय पाली के पत्रांक/ कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 15.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अतिरिक्त जिला कलेक्टर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली बाली, जिला-पाली</p> <p>15/5/24 पञ्जावती चन्द्र देवी पञ्जावती के अन्वेषण किया स्वयंसेवक जर्मन पञ्जावती से सह रहा है जर्मन पञ्जावती के अन्वेषण ही सम्पन्न हो चुका है इसी स्थिति में जर्मन के अपूरणीय शक्ति की सम्भावना पर सम्पन्न हो जाये है प्रकरण का अन्वेषण सम्पन्न हो गये है। अतः प्रार्थी द्वारा चन्द्र देवी स्वयंसेवक जर्मन पञ्जावती के अन्वेषण किया जाये है पञ्जावती के अन्वेषण शुभार होकर सम्पन्न हो जाये है। अन्वेषण पञ्जावती के सम्पन्न हो जाये है।</p> <p style="text-align: center;">Mun 15/5/24 अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p> | |